ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

BAREILLY-243006

सन्दर्भ संख्या:NOCMJRU/संब/ /2025/480-487 दिनांकः19/06/2025

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांकः 19/06/2025) से Smt Santosh Kumar Pathak Smrati Mahavidhyalya Goora Viakas Khand Miaun को UG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	BACHELOR OF ARTS (2025-2026)	GEOGRAPHY
2	BACHELOR OF ARTS (2025-2026)	HISTORY
3	BACHELOR OF ARTS (2025-2026)	HOME SCIENCE
4	BACHELOR OF ARTS (2025-2026)	POLITICAL SCIENCE
5	BACHELOR OF ARTS (2025-2026)	SOCIOLOGY
6	BACHELOR OF ARTS (2025-2026)	HINDI
7	BACHELOR OF ARTS (2025-2026)	ENGLISH

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2025-2026 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2025-2026 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।